बैठक सं० 71
दिनांक - 25.11.10
एजेण्डा 71:1

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 10 / डी 1601 दिनांकः 15-11-10

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 70वीं बैठक दिनांकः 29.10.10 को अपरान्ह 12:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		70:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 69वीं बैठक दिनांक 26.08.10 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 69वीं बैठकों मे लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 69वीं बैठक दिनांक 26.08.10:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 69वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। अधिकांश प्रकरणों में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होना शेष बताया गया। आयुक्त महोदय ने संबधित जोन उपायुक्तों को निर्देश दिये कि उक्त प्रकरणों में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्ति हेतु पत्राचार किया जावे।
2.	9	70:2	डॉ. एम.एन.टण्डन मैमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट को आवंटित भूमि के नाम ट्रोमा एण्ड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल कम रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट किये जाने के संबंध में।	डॉ.माया टण्डन द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। संस्था ट्रोमा एण्ड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल कम रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट चलाने की अनुमति चाहती है। अतः नवीन संस्था की प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त की जावे। अनुमोदित नक्शे के बारे में स्पष्ट जानकारी एजेण्डा में दी जावे कि क्या उक्त नक्शा हॉस्पीटल प्रयोजनार्थ अनुमोदन किया गया था। उपायुक्त जोन प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।
3.	7	70:3	आर.के.यादव मेमोरियल सोसायटी, सिरसी रोड, जयपुर को ग्राम सिरसी के खसरा नं. 1770 एवं 1771 में से 1327.12 वर्गगज भूमि का आवंटन एलपीसी की बैठक दिनांक 29.07.10 को 3125/ रु. प्रति वर्गमीटर की दर से किया गया था। संस्था को नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 14.02.05 के अनुसार 1000 वर्गगज तक निःशुल्क व अधिक 327.12 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर 2500/ रु. प्रति वर्गमीटर के 25 प्रतिशत पर करने बाबत निर्णय लिये जाने के संबंध में।	प्रकरण में प्रस्तुत एजेण्डा के कॉलम सं. 13 में दो वर्ष का आय व्यय लेखा प्रस्तुत करने का उल्लेख है। संस्था से तीन वर्ष के आय व्यय का लेखा प्राप्त किया जावे। संस्था पूर्व में मार्गदर्शन के नाम से वर्ष 2001 02 में रजिस्टर्ड थी। फरवरी 2010 में इसका नाम परिवर्तित कर आर.के. यादव मेमोरियल सोसायटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अंकित है; अतः इस बिन्दु पर भी जांच की जावे कि क्या संस्था का नाम ही परिवर्तन हुआ है अथवा पूर्व संस्था को नवीन संस्था द्वारा Take Over कर लिया है? उक्त बिन्दुओं पर उपायुक्त परीक्षण कर आगामी बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत करे।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	6	70:4	दी कृष्णा को. हॉ. सो. लि. की योजना उधोग नगर के सुविधा क्षेत्र में दर्शित 2429.61 वर्गगज भूमि कब्रिस्तान हेतु आरक्षण।	पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि श्री चाद खान पहाड़ान, सचिव, जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा व्यक्तिगत हेसीयत से कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है। रजिस्टर्ड सोसायटी अथवा वक्फ कमेटी / बोर्ड के आवेदन पर विचार किया जा सकता है।
5.	6	70:5	जयपुर विधुत वितरण निगम लि0, जयपुर के 33 / 11 केवी विधुत उप केन्द्र निर्माण हेतु तारानगर 'डी' में 900 वर्गमीटर भूमि आवंटन।	संस्था को जविप्रा की अनुमोदित कॉलोनी तारा नगर डी की फैसेलिटी में उपलब्ध 850 वर्गगज भूमि आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर राज्य सरकार के आदेश कमांक प 3(203)नविवि / 3 / 95पार्ट दिनांक 06.08.2009 के अनुसरण में आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जावे।
6.	12	70:6	ग्राम पंचायत भम्भोरी को कब्रिस्तान हेतु ग्राम भम्भोरी के खसरा नं. 19 में से 2 बीघा भूमि आरक्षित करने बाबत।	ग्राम भम्भोरी के खसरा नं. 19 रकबा 97.17 बीघा में से 2 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है किन्तु आवंटन चाही गई भूमि की लोकेशन का एजेण्डा में वर्णन नहीं है। अतः पूर्ण विवरण व नक्शे में प्रदर्शित करते हुए प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
7.	5	70:7	विपुल मोटर्स अजमेर रोड के पास अजमेर रोड से जनपथ को जोड़ने वाली 60 फीट चौड़ी सड़क की चौड़ाई प्राप्त करने के लिये समझोते के आधार पर प्राप्त की गई भूमि के बदले भूमि आवंटन के क्रम में।	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह को उसकी सड़क चौड़ाई हेतु जविप्रा द्वारा प्राप्त की गई भूमि के बदले अन्यत्र जोन मे भूमि दिये जाने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
8.	7	70:8	भूखण्ड संख्या ए 95 टीलावाला योजना के विनमय में चित्रकुट योजना मे भूखण्ड दिये जाने प्रार्थना पत्र श्री कमलकांत वर्मा	एक योजना से दूसरी योजना में भूखण्ड विनिमय में दिये जाने के संबंध में कोई नीति निर्धारित नहीं है। प्रार्थी श्री कमलकान्त वर्मा के प्रार्थना पत्र में टीलावाला योजना से चित्रकूट योजना में भूखण्ड विनिमय करने की मांग तर्कसंगत नहीं है। प्रकरण खारिज किया गया।
9.	10	70:9	डा. आई. टी. प्लेनेटस लि. को बी.पी.ओ. सेन्टर स्थापित करने हेतु 1 एकड़ भूमि जयपुर में आवटन करने बाबत।	प्रकरण मे चैक लिस्ट बनाई जाकर अपेक्षित दस्तावेज संस्था से मांगे जावे एवं प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
10.	10	70:10	कामटेक के.पी.ओ. पार्क लि. को जामडोली में 1.20 एकड़ भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण में चैक लिस्ट बनाई जाकर अपेक्षित दस्तावेज संस्था से मांगे जावे एवं प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
11.	10	70:11	टेक्नोरकाईव इन लि0 को ग्राम जामडोली में भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण में चैक लिस्ट बनाई जाकर अपेक्षित दस्तावेज संस्था से मांगे जावे एवं प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
12.	2	70.12	श्री राधाकृष्ण जनकल्याण समिति द्वारा सेक्टर 2 में स्थित सामुदायिक केन्द्र के रख रखाव हेतु एवं गोद दिये जाने के संबंध में।	प्रकरण स्थगित किया गया।

उपा० आयुक्त (एल.पी.सी.)
... विकास प्राधिकरण, जयपुर

3

13.	7	70:13	अजमेर रोड पुलिया को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चौड़ा करने से प्रभावित दुकान संख्या 1 ग्राम सुशीलपुरा के मालिक को चित्रकूट योजना में व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन दिनांक 28.06.10 को किया गया की दर में संशोधन बाबत।	प्रस्तावानुसार राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 20.07.04 के अनुसार राशि 1,50000/ रू. व ब्याज लिये जाने का निर्णय लिया गया।
14.	9	70:14	सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हेतु ग्राम रामचन्द्रपुरा, विमलपुरा, विधानी एवं जयसिंहपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर की भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई भूमि की दर निर्धारण करावने बाबत।	चूंकि औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हेतु भूमि आवंटित की गई है एवं राज्य सरकार से स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। अतः कृषि भूमि की निर्धारित डीएलसी दर से गणना कर राशि वसूली की कार्यवाही की जावे।
15.	14	70:15	देव एज्यूकेशन सोसायटी को विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु एलपीसी की बैठक दिनांक 28.06.10 में 30 एकड़ भूमि ग्राम चित्तौड़ा में आवंटन करने की अभिशंषा की गई थी। संस्था ग्राम बीलवा में आवंटन चाहती है।	प्रकरण स्थगित किया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :-

1.	7	70:15(1)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी श्रीमती कृष्णा पुनिया को चित्रकूट आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।	राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्रीमती कृष्णा पुनिया को चित्रकूट आवासीय योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या 3/396, 3/397, 3/398, 3/401 व 3/402 प्रत्येक 252 वर्गमीटर में से एक भूखण्ड लॉटरी द्वारा चयन कर आवंटन करने की अभिशंषा का निर्णय लिया गया। शहरी भूमि निस्तारण के नियम 1974 के नियम 17 ए के अनुसार 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का प्रावधान है। अतः 220 वर्गमीटर भूमि वर्तमान आवासीय आरक्षित दर 6800/ रू. प्रति वर्गमीटर की 50 प्रतिशत पर व शेष 32 वर्गमीटर भूमि आवासीय आरक्षित दर 6800/ रू. प्रति वर्गमीटर पर आवंटन की अभिशंषा भी राज्य सरकार को की जावे।
2.	9	70:15(2)	श्री सुरेन्द्र गोलछा की भूमि खसरा नं. 111/194, रकबा 2 बिस्वा, ग्राम मानपुरदेवरी, तहसील जयपुर के एवज् में रामनगरिया आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए-303 एवं ए 304 का आवंटन किये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या ए 303 एवं ए 304 प्रत्येक 252 वर्गमीटर आवंटन का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया जावे।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4

3.	8	70:15(3)	माली समाज को वृद्धाश्रम, बेरोजगार प्रशिक्षण, छात्रावास, सामूहिक विवाह एवं सामाजिक गतिविधि हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।	संस्था के प्रतिनिधि को विस्तृत प्रस्तुतिकरण देने हेतु आगामी बैठक में आमन्त्रित किया जावे।
4.	1	70:15(4)	श्रीमती माधुरी शुक्ला व मोहीत शुक्ला प्लाट नं. 54, विजय नगर, डी-ब्लॉक, मालवीय नगर को भूखण्ड संख्या डी-718 एवं भूखण्ड सं. 54 विजय नगर के मध्य स्थित भू पट्टी आवंटन के संबंध में।	भूखण्ड सं. डी-718, मालवीय नगर एवं भूखण्ड सं. 54 विजय नगर के मध्य स्थित खाली पट्टी 10'X70' में से आधी अर्थात 5'X70' छोटी पट्टी के रूप में आवेदकगण को दुगुनी आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। भूखण्ड सं. डी-718 मालवीयनगर के मालिक द्वारा जीरो सेटबेक पर निर्माण कराने के तथ्य भी सामने आये है। प्रवर्तन प्रकोष्ठ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये जावे।
5.	2	70:15(5)	श्री जोमसिंह को विधाधरनगर में भूखण्ड सं. 4/290 आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार आवंटन का निर्णय लिया गया।
6.	13	70:15(6)	जेविविएनएल को ग्राम चिमनपुरा तहसील आमेर में जीएसएस व स्टोर हेतु भूमि आवंटन बाबत।	राज्य सरकार के आदेश प 3(203)नविवि/3/95पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में जीएसएस के निर्माण हेतु आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
7.	9	70:15(7)	जसदेव सिंह पदक विजेता को अवाप्त भूमि के बदले भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	प्रस्तावानुसार आवंटन का निर्णय लिया गया।
8.	9	70:15(8)	बीना महावर को भूखण्ड सं. डी 262, महल योजना में भूखण्ड विनिमय बाबत।	प्रस्तावानुसार महल योजना के डी ब्लॉक में 9 मीटर चौड़ाई की सड़क पर उपलब्ध भूखण्डों में से एक भूखण्ड पूर्व आवंटित भूखण्ड संख्या डी 262 के माप का विनिमय करने का निर्णय लिया गया।
9.	6	70:15(9)	ईस्लामी कमेटी को मुरलीपुरा स्कीम में मस्जिद के लिये भूमि आवंटन बाबत।	वक्फ कमेटी/बोर्ड के आवेदन करने पर विचार किया जावे। प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
10.	13	70:15(10)	सनराईज हैल्थ एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च सोसायटी को भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन प्रस्तावित भूमि का मौका देखकर आगामी बैठक में पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
11.	4	70:15(11)	मैसर्स राधा गोविन्द एस्टेट प्रा0 लि0 को निजी खातेदारी की भूमि ग्राम सूरजपुरा माली के मध्य आने वाले खसरा नं 185 व 187 की 200 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में उपायुक्त जोन पुनः परीक्षण कर नियमों के परिपेक्ष्य में स्पष्ट उल्लेख करते हुये प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

बैठक साधन्यवाद समाप्त की गई।

15.11.10

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर

5

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलेक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
10. निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/प्रशासन/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
13. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
14. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
15. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

6

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 70वी बैठक दिनांक 29.10.10 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा, कार्यवाहक सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एस.के. पंचोली, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
5.	श्री शफी मोहम्मद कुरैशी, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
7.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व)	विशेष आमंत्रित
8.	श्रीमती स्मिता शरीन, उप निदेशक (प्रोजेक्ट एवं ऑडीट)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-2	विशेष आमंत्रित
10.	श्री राजेन्द्र विजय, उपायुक्त जोन-4	विशेष आमंत्रित
11.	श्री गिरीश पारासर, उपायुक्त जोन-5	विशेष आमंत्रित
12.	श्री राकेश शर्मा, उपायुक्त जोन-6	विशेष आमंत्रित
13.	श्री ह्रदेश कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन-8	विशेष आमंत्रित
14.	श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन-9	विशेष आमंत्रित
15.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन-14	विशेष आमंत्रित
16.	श्री नवल किशोर बैरवा, अधिशाषी अधिकारी जोन-1	विशेष आमंत्रित
17.	श्री बी.एस. शर्मा, तहसीलदार जोन-7	विशेष आमंत्रित
18.	श्री चैन सिंह राठौड, अधिशाषी अधिकारी जोन-10	विशेष आमंत्रित